न्यायालय अपीलीय अधिकारी, अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर

अपील संख्याः 23/2018 (सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

अजय जोशी 2347, राजाशिवदास जी रास्ता, नाहरगढ रोड, पुरानी बस्ती, जयपुर। 302001
...अपीलांट

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) जिला जयपुर।
...रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005

दिनांकः 17.01.2019

निर्णय

अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 29.10.2018 का आवेदन–पत्र राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के कार्यालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया। आवेदन में अंकित सूचना राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम द्वारा निर्धारित अवधि 30 दिवस में उपलब्ध नहीं कराने पर यह अपील दिनांक 26.12.2018 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई।

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं (उपखण्ड अधिकारी, जयपुर प्रथम) को अपील मीमों की प्रति प्रेषित कर बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अपील मीमो का जवाब राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के पत्रांक 7876 दिनांक 01.01.19 से प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने सूचना अपने कार्यालय से संबंधित नहीं होने से उनके पत्रांक 7580 दिनांक 19.12.2018 से अपीलांट का आवेदन पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत अन्तरण तहसीलदार जयपुर राज्य लोक सूचना अधिकारी को किया गया। अपीलांट के आवेदन पत्र में अंकित सूचना प्रश्नात्मक है। अपीलांट स्वयं उपस्थित। अपीलांट को सुना गया। अपीलांट का कथन है कि उनकी माताजी फूला देवी पत्नी रामनिवास जोशी की खातेदारी भूमि ग्राम लालचन्दपुरा में है। माताजी के नाम से पृथक–पृथक प्रमाण पत्र जारी किये गये है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील अपीलांर्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है राज्य लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर किये गये कथनों के आधार पर तथ्यो से संबंधित रिकॉर्ड की नकल अपीलांट को उपलब्ध करवाई जावे एवं अपीलांट को भी निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय तहसीलदार जयपुर में उपस्थित होकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करे। निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उभय पक्ष व तहसीलदार जयपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सैन)
अपीलीय अधिकारी,
अति.कलक्टर–प्रथम,जयपुर